

२३/८/२२

अधिवक्तागण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक ३१/८/२२ को पेश हो

०१/८/२२

बादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रफू-रू कर उबार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तगति धारा 53 RTA इसी स्तर पर अदम पैरवी अदम कापरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विनीति लेकर गम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर हो



उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

